N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0268 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/11/2024 17:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/02/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:52 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/11/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/11/2024 17:53:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 160 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** GRAM FAGLIY P.S. BAKHASAR, DISTRICT BADMER

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): RUKHAMNARAM
   (b) Father's Name (पिता का नाम): JIVARAM
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2001 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RANGWALI, SEDWA, BAKHASAR, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RANGWALI, SEDWA, BAKHASAR, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MOTARAM KHINCHAD		पिता:DHANNARAM KHINCHAD	1. DOONGARI,SANCHORE,JALOR

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत मुझ प्रार्थी रूखमणाराम पुत्र श्री जीवाराम जाति जाट निवासी रंगवाली ग्राम पंचायत साता तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का इस प्रकार है कि मेरे पिताजी जीवाराम के नाम ग्राम रंगवाली मे घरेलु बिजली कनेक्शन ले रखा है। हम उस बिजली कनेक्शन से पशुओ के पानी के लिए सिंगल फेज मोटर चलाते है। दिनांक 19.01.2024 को श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्काम फागलिया मेरे घर आये, घरेलु कनेक्शन से चल रही मोटर का फोटो लिया एवं कहा कि आप घरेलु कनेक्शन से सिंगल फेज मोटर चलाते हो मै आपके वीसीआर भर दूंगा, मेरे व्यक्तिगत मिलने पर वीसीआर नही भरने की एवज मे मेरे से 15,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता को रिश्वत नही देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। मेरे मोटाराम से कोई रंजिश नही है और कोई लेन-देन बकाया नही है। अतः रिपोर्ट कर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावे इति दिनांक 16.02.2024 भवदीय, एस.डी. रूखमणाराम रूखमणाराम पुत्र श्री जीवाराम उम्र 23 वर्ष निवासी रंगवाली तहसील सेडवा जिला बाड़मेर मो.न.[redacted]एस.डी. गवाह जयप्रकाश/ 26.02.2024 एस.डी. गवाह प्रकाशचन्द्र/ 26.02.2024 एस.डी. सं्ग्रामसिह भाटी, उप अधीक्षक पुलिस, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनंाक 16.02.2024 वक्त 11.52 ए.एम. पर प्रार्थी रूखमणाराम पुत्र श्री जीवाराम जाति जाट निवासी रंगवाली ग्राम पंचायत साता तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर श्री संग्रामसिह भाटी उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष इस आश्य की पेश की कि कि मेरे पिताजी जीवाराम के नाम ग्राम रंगवाली मे घरेलु बिजली कनेक्शन ले रखा है। हम उस बिजली कनेक्शन से पशुओ के पानी के लिए सिंगल फेज मोटर चलाते है। दिनांक 19.01.2024 को श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम फागलिया मेरे घर आये, घरेलु कनेक्शन से चल रही मोटर का फोटो लिया एवं कहा कि आप घरेलु कनेक्शन से सिंगल फेज मोटर चलाते हो मै आपके वीसीआर भर दूंगा, मेरे व्यक्तिगत मिलने पर वीसीआर नही भरने की ऐवज मे मेरे से 15,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता को रिश्वत नही देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। मेरे मोटाराम से कोई रंजिश नही है न ही कोई लेन-देन बकाया है। अतः रिपोर्ट कर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावे" वगैरा रिपोर्ट मे उल्लेखित सभी तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट स्वकलमी होकर इस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना परिवादी द्वारा जाहिर किया गया। परिवादी के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त की गई। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संषोधन) अधिनियम की परिभाषा में आने से श्री संग्रामसिह उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पर प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर श्री बांकाराम कानि. 584 को कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिवादी श्री रूखमणाराम से परस्पर परिचय करवाया गया तथा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल टेप मय मेमोरी कार्ड के निकालकर इसे ऑपरेट करने बाबत् परिवादी व कानि. बांकाराम को समझाईश की जाकर दोनो के मोबाईल नम्बरो का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। इस दौरान परिवादी ने बताया कि आगे तीन दिन अवकाश है एवं इसके बाद दो- तीन दिन मेरे भी घर पर आवश्यक घरेलु कार्य है। जिस पर परिवादी को दिनांक 22.02.2024 को आरोपित सहायक अभियन्ता की कार्यालय मे उपस्थिति बाबत मालूमात कर श्री बांकाराम कानि. या उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क करने की हिदायत कर परिवादी को फारिक किया गया तथा श्री संग्रामसिह, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री बांकाराम कानि. को सुपुर्द कर हिदायत कि गई कि इसे अपनी अभिरक्षा मे सुरक्षित रखे एवं दिनांक 22.02.2024 को परिवादी द्वारा सम्पर्क करने पर डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड साथ लेकर परिवादी द्वारा बताये स्थान पर पहुँच परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर चलाने की पुनः समझाईश कर डिजिटल टेप रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर ऑन कर परिवादी को सुपूर्द कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर ब्यूरो चैकी बाडमेर पर उपस्थित आवे तथा इस दौरान परिवादी के सम्पर्क मे रहे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात को उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा मे रखे गये। निर्देशानुसार परिवादी द्वारा सम्पर्क करने पर श्री संग्रामसिह उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री बांकाराम कानि. को दिनांक 22.02.24 को परिवादी के पास साता व फागलिया भेजकर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपित सहायक

अभियन्ता अपने कार्यालय मे उपस्थित मिला जिससे परिवादी द्वारा अपने काम से सम्बन्धित वार्ता कर बताया कि साहब पन्द्रह हजार ज्यादा है मेरे पास छः हजार रूपये है तब उन्होने कहा क्यो, तब मैने कहा मेरे जीरा तो है नही, आपने भैरा को दस तक कहा था साहब, तब उन्होने कहा हाँ तो लाकर पूरे कर ना। जिस पर मैने छः हजार रूपये उसे देकर कहा चार ओर रहे है, जिस पर उन्हाने कहा चार फटाफट ला मेरी ट्रान्सफर हो सके नही तो फिर तेरे को पूरे भरने पडेगे, इत्यादि वार्ता परिवादी के माध्यम से डिजिटल टेप रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई। इस सम्बन्ध मे श्री बांकाराम कानि. व परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल श्री संग्रामसिह उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराने पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता की हिदायत कर गांव साता मे छोडकर बाडमेर पहुच डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के अपनी अभिरक्षा मे रखने हेतु श्री बांकाराम कानि. को निर्देशित किया गया। दिनांक 25.02.2024 को श्री संग्रामसिह उप अधीक्षक पुलिस ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर से ब्यूरो कार्यालय बाडमेर पर उपस्थित आये। जिस पर श्री बांकाराम कानि. द्वारा सत्यापन सम्बन्धित हालात मौखिक बताये जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्रस्तुत किया। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को आँन कर सुना तो बांकाराम कानि. द्वारा बताये तथ्यो की ताईद होते हुए आरोपी श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता द्वारा परिवादी श्री रूखमणाराम से उसके घरेलु कनेक्शन की वीसीआर शीट नही भरने की एवज मे रिश्वत राशि की मांग कर दौराने मांग सत्यापन छः हजार रूपये उसी समय प्राप्त कर शेष 4000 रूपये रिश्वत ओर मांगने की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दूसरे दिन दिनांक 26.02.2024 को आरोपित के विरूद्ध टेªप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर परिवादी को जरिये वाट्सअप कॉल आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 4,000 रूपये सहित दिनांक 26.02.2024 को प्रातः 9.30 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय बाडमेर आने हेतु पाबन्द किया एवं ब्यूरो स्टाफ को भी प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं के कब्जे मे सुरक्षित रखा। दिनांक 26.02.2024 को प्रस्तावित टेप कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर से जरिये तेहरीर दो स्वतन्त्र गवाह श्री प्रकाश चन्द कनिष्ठ सहायक एवं जय प्रकाश कनिष्ठ सहायक की श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय पर तलबी करवाई गई। इस दौरान पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री रूखमणराम कार्यालय मे उपस्थित आया एवं बताया कि आरोपी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 4000 रूपये साथ लेकर आया हूँ। जिस पर परिवादी के रुबरु श्री संग्रामसिह उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय मे बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना अपना परिचय क्रमशः श्री जयप्रकाश पुत्र श्री लूणकरण सोनी जाति सोनी उम्र 25 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गायत्री चैक, नाईयो का वास वार्ड नम्बर 06 बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) बाडमेर मोबाईल नम्बर [redacted] एवं श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री अणदाराम जाति मेगवाल उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नागणेशिया दुण्ढा ग्राम पंचायत आदर्श दुण्ढा जिला बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) बाडमेर मोबाईल नम्बर [redacted] के रूप मे दिया। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री रूखमणाराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाशचन्द व जयप्रकाश का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तथा पढने हेतु दिया गया। डिजीटल रिकॉर्डर मे रिकार्ड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यांश दोनो गवाहान को सुनाये गये। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर इस ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी सहमति प्रदान करते हुए परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री रूखमणाराम एवं आरोपी श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता के मध्य दिनांक 22.02.2024 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर के 32 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड थी, को उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन मे रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् श्री बांकाराम कानि. से मुर्तिब करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयाँ श्री लालाराम कानि0 से तैयार करवाई गई एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मे लगी उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यु कानि. श्री लालाराम से निकलवाई जाकर मूल मेमोरी कार्ड को कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए सम्बधितान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक सीडी अनुसन्धान अधिकारी एवं एक सीडी मुलजिम हेतु खुली रखी गई। उक्त दोनो सीडी एवं मूल मेमोरी कार्ड टेªप बॉक्स मे सुरक्षित रखने हेतु श्री सुराब खां हैड कानि. को सुपुर्द किये गये। आरोपी श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता एवं स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री रूखमणाराम द्वारा रूबरू गवाहान की गई। इसके बाद श्री संग्रामसिह उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू स्वतन्त्र गवाहान परिवादी श्री रूखमणाराम को आरोपी श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000 रू0 प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री रूखमणाराम ने आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पाँच-पाँच सौ रुपये के आठ नोट कुल 4000 रुपये अपनी जेब में से निकालकर उप अधीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान पेश किये एवं परिवादी व गवाहान के रूबरू फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की क्रिया-प्रतिक्रिया श्री सहेदवसिह कनिष्ठ सहायक से प्रदर्शित करवाई जाकर मुर्तिब की गई। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल

पत्रावली की गई। उक्त कार्यवाही के बाद ट्रेप दल मय गवाहान एवं परिवादी के ट्रेप कार्यवाही के लिए रवाना होने वाले थे कि इसी दौरान परिवादी ने गोपनीय रूप से आरोपी की कार्यालय मे उपस्थित बाबत जानकारी कर बताया कि आरोपी कार्यालय मे उपस्थित नही आया है। ब्यूरो कार्यालय बाडमेर से डिस्कॉम कार्यालय की काफी दूरी होने एवं उस दिन कार्यवाही की संभावना कम होने से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही बाद मे करने का निर्णय लिया जाकर रिश्वती राशि एक लिफाफे डालवाकर पुनः ट्रेप बॉक्स मे सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी एवं दोनो गवाहान को उस समय तक की हुई कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखस्त किया। परिवादी को उप अधीक्षक पुलिस के सम्पर्क मे रहने की हिदायत दी गई। इस दौरान श्री किशनसिह चारण उप अधीक्षक पुलिस का पदस्थापन भ्र.नि.ब्यूरो बाडमेर होंने से चैकी हाजा के कार्यभार के साथ प्रकरण हाजा की पत्रावली श्री किशनसिह उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द की गई। उनके द्वारा पत्रावली के अवलोकन पश्चात मालुमात करने पर सत्यापनकर्ता श्री बांकाराम कानि. 584 ने पत्रावली मे वर्णित तथ्यो की पुष्टि करते हुए बताया कि परिवादी से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि एस.ओ. श्री मोटाराम, सहायक अभियन्ता, डिस्कॉम कार्यालय फागलिया इन दिनो मुख्यालय से बाहर चल रहा है। जिस पर मैनें परिवादी को इस बाबत ओर मालुमात करने का कहा तो परिवादी ने मुझे बताया कि सप्ताह भर पहले आरोपी श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता को विभाग ने निलम्बित कर उसका मुख्यालय जोनल कार्यालय जोधपुर कर दिया है। इसलिए अब वो मेरे से कोई रिश्वत प्राप्त नही करेगा। जिस पर परिवादी की तलबी कर रिश्वती राशि 4,000 रूपये उसे पुनः सुपुर्द करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी की तलबी हेतु श्री बांकाराम कानि. 584 व श्री सुराब खां हैड कानि. को निर्देशित किया गया। जिस पर बांकाराम कानि. व श्री सुराब खां हैड कानि. द्वारा समय समय पर जरिये मोबाईल परिवादी की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी करवाई गई। किन्तु परिवादी आवश्यक घरेलु व हॉस्पीटल कार्य में व्यस्त होने से दिनांक 24.06.2024 तक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित नही आया। इस दौरान श्री बांकाराम कानि. ने बताया कि आरोपी श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता को विभाग द्वारा दिनांक 11.03.2024 को निलम्बित किया गया था। जिसके निलम्बन आदेश की प्रति सोशल मिडिया पर वायरल है। जिस पर उक्त निलम्बन आदेश प्रिन्ट आउट लेकर एक प्रति शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 26.06.2024 को तलब सुदा परिवादी श्री रूखमणाराम ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया व बताया कि आरोपी श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता का निलम्बन होकर मुख्यालय परिवर्तन होने से अब अग्रिम लेन-देन कार्यवाही होना सम्भव नही है। इसलिए मेरे द्वारा इस कार्यवाही हेतु पूर्व मे दी गई रिश्वती राशि 4,000 रूपये मुझे वापिस सुपुर्द किये जावे। मुझे यहां से एसीबी द्वारा फोन पर रूपये ले जाने हेतु कई बार बुलाया गया किन्तु मै मेरे आवश्यक घरेलु व हॉस्पीटल कार्य में व्यस्त होने से आज तक उपस्थित नही आ सका। अब फारिक होकर उपस्थित आया हूँ। जिस पर श्री सुराब खां हैड कानि. के माध्यम से दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जयप्रकाश कनिष्ठ सहायक व श्री प्रकाश चन्द्र कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) बाडमेर की तलबी करवाई जाकर दोनो गवाहान का परिचय प्राप्त कर इन्हे प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया। दोनो गवाहान के रूबरू हाजिर परिवादी श्री रूखमणाराम द्वारा प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही नही होने से जमा रिश्वती राशि पुनः लौटाने बाबत् एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, जो दोनो गवाहान को पढकर सुनाया गया तथा पढने हेतु दिया जाकर इस पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दोनो गवाहान के रूबरू श्री सुराब खां हैड कानि. के माध्यम से ट्रेप बॉक्स मे सुरक्षित रखी हुई रिश्वती राशि पाँच-पाँच सौ रूपये के आठ नोट, कुल राशि 4,000 रूपये के प्रत्येक नोट पर लगे फिनोफ्थलीन पाऊडर को हटवाकर सभी नोट साफ करवाये जाकर उक्त राशि परिवादी श्री रूखमणाराम को पुनः सुपुर्द की जाकर इस बाबत प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद दोनो गवाहान व परिवादी को फारिक कर गन्तव्य के लिए रूखस्त किया गया। प्रकरण हाजा मे उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम फागलिया जिला बाडमेर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री रूखमणाराम पुत्र श्री जीवाराम जाति जाट उम्र 23 साल निवासी रंगवाली पुलिस थाना बाखासर तहसील सेडवा जिला बाडमेर के घरेलु विधुत कनेक्शन पर संचालित सिंगल फेज मोटर को अवैध बताकर वीसीआर नही भरने की ऐवज मे आरोपित सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 22.02.2024 को परिवादी से रिश्वती राशि की मांग कर उसी दिन वक्त सत्यापन 6,000 रूपये प्राप्त कर 4,000 रूपये ओर रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। किन्तु इस दौरान आरोपित सहायक अभियन्ता का निलम्बन होकर मुख्यालय जोनल कार्यालय जोधपुर हो जाने से उक्त तय सुदा रिश्वती राशि 4,000 रूपये प्राप्त नही करना पाया जाने से आरोपी श्री मोटाराम सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम फागलिया जिला बाडमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री मोटाराम खींचड़ पुत्र श्री धन्नाराम खीचड जाति विश्नोई निवासी डूंगरी तहसील सांचैर जिला जालोर तत्का. सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम फागलिया, जिला बाडमेर हाल पदस्थापन जोधपुर डिस्कॉम रामसर जिला बाडमेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा सशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (नरेन्द्र कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर....... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार

,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में आरोपी श्री मोटाराम खींचड़ पुत्र श्री धन्नाराम खीचड जाति विश्नोई निवासी डूंगरी तहसील सांचैर जिला जालोर तत्का. सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम फागलिया, जिला बाडमेर हाल पदस्थापन जोधपुर डिस्कॉम रामसर जिला बाडमेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रामेश्वर मेघवाल, अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 260 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1476-79 दिनांक 19-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 3- सचिव प्रशासन, जोधपुर डिकॉम-जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMESHWAR LAL **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/07/1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)